

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/आक्षेप/2019/

दिनांक:-

सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज,

सम्बन्धित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

राजस्थान।

विषय - एसीपी के आक्षेपों के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा निम्नांकित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका के एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्रकरण प्राप्त हुये है, उनके नाम के सम्मुख अंकित कमियाँ पायी गई है निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाने का श्रम करें ताकि कार्मिका को समय पर एसीपी आदेश जारी किये जा सके -

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1	सगीता नागर, नर्स-2	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं अवकाश स्वीकृत आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
2	कुलवन्त कौर, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3	बद्री लाल मोडिया, मेल नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	कार्मिका के 18 वर्षीय एसीपी प्रस्ताव 5 वर्ष विलम्ब से भेजने का क्या कारण रहा ? स्थिति स्पष्ट करते हुये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर अवगत करावे।
4	मजू राजपूत, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	कार्मिका का महिला स्वास्थ्य दर्शिका तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 31.08.90 अंकित किया है यह स्पष्ट करें कि कार्मिका का वर्तमान में महिला स्वास्थ्य दर्शिका है या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्बन्धित प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में चैकलिस्ट के साथ सहायक लेखाधिकारी से जांच कर प्रकरण भिजवाये।
5	ग्रेसी कुट्टी, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	कार्मिका की प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद की स्थिति स्पष्ट करें वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि एवं आदेश की प्रति, सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रथम द्वितीय व तृतीय एसीपी में से कौनसी एसीपी की अनुशांषा की है प्रपत्र में अंकित, सीधी भर्ती से नर्स-2 के पद पर पदस्थापन किया है अथवा पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुये विभागीय कोटे के 10 प्रतिशत में नियुक्ति दी है तथा चैक लिस्ट के अनुसार सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त प्रस्तुत करें

ACP

6	वलसम्मा एम0, नर्स-2	अधीक्षक, जनाना चिकित्सालय, जयपुर	कार्मिका का एसीपी प्रकरण निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण को सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैक लिस्ट सहित भिजवाये।
7	सीमा गोरवाल, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी.	कार्मिका का एसीपी प्रकरण निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण को सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैक लिस्ट सहित भिजवाये।
8	पदमावती व्यास, नर्स-2	अधीक्षक, जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा	कार्मिका का एसीपी प्रकरण निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण को सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैक लिस्ट सहित भिजवाये।
9	नजमा बेगम, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं एसीपी प्रकरण निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण को सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैक लिस्ट सहित भिजवाये।
10	नीतू मेवाडा, नर्स-2	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र सलग्न नहीं है। प्रस्तुत करें
11	अनिता वर्मा, नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	कार्मिका का एसीपी के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
12	कृष्णा रानी, नर्स-2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़, चूरु।	कार्मिका के अवकाश स्वीकृत आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। प्रस्तुत करें
13	अजु शर्मा, नर्स-2	अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कालेज, कोटा	कार्मिका को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया अथवा सीधी भर्ती में नर्स-2 के पद पर नियुक्ति दी गई स्पष्ट करें, कार्मिका ने पूर्व में 9.18. एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिया है अथवा नहीं? कार्मिका का एसीपी के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।

14	रीशा मीणा, म0स्वा0दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा	कार्मिका का 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से अनुमोदित नहीं तथा दिनांक 01.01.06 के पश्चात् ग्रेडपे के स्थान पर लैबल का प्रस्ताव प्रस्तुत करें कार्मिका का एसीपी के प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 53 दिनांक 22.02.19 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसीपी प्रकरण सहायक लेखाधिकारी से जांच उपरान्त चैकलिस्ट के साथ भिजवाये।
15	शकुन्तला परिहार, नर्स-2	अजमेर	कार्मिका के स्थायीकरण आदेश की प्रति।
16	नीतू नर्स-2	अलवर	प्रकरण चैक लिस्ट के अनुसार भिजवाये।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर


क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/आक्षेप/2019/1048

दिनांक:- 6/08/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर